

राजस्थान सरकार
कृषि (युप-2) विभाग

क्रमांक: प. 10(2) युप-2/75

जयपुर दिनांक 25 जनवरी, 2006

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं. 38 सन् 1961) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित शीर्षक "विविध" के अन्तर्गत निम्नलिखित जिल्लों को सम्मिलित किया जाता है:-

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. फूल, फूलों की सूखी पत्तियां | 2. चाय पत्ति | 3. कॉफी |
| 4. नारियल | 5. नारियल (पानीवाला) | 6. पिण्ड खजूर |
| 7. सूखा मेवा | 8. सोनामुखी | |

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,
ह./-

(के.सी. वर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

प-4(33)

(33) युप-2/नियमन/06/ 40695-718

दिनांक:

28/1/06

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक: 25.1.2006 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सचिव, कृषि उपज मण्डी समितियों को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायें।

- (2) समस्त विभागीय अधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, राज. जयपुर।
- (3) सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
- (4) वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर।
- (5) निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर।

इसकी प्रति

L. J. E. R.

निदेशक
कृषि विपणन